

अनुलग्नक – सी

शपथ पत्र

**टिप्पणी :** यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्थापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ एतद्वारा निम्न प्रकार निश्चय पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ।

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।

2. मेरे अथवा मेरी पत्नी / पति अथवा मेरे अवयस्क बच्चों अथवा मेरे किसी अन्य आश्रित सम्बन्धी के पास दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली छावनी के नगरीय क्षेत्र में पट्टा आधार पर अथवा फ्री होल्ड आधार पर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई आवासीय भू-खण्ड अथवा गृह नहीं है।

3. मैं केवल एक रिहायशी इकाई के आवंटन के लिए आवेदन कर रहा हूँ।

4. पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय मैं व्यस्क था। मेरी जन्म तिथि \_\_\_\_\_ है।

5. मैंने न्यू पैटर्न आवासीय पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत अपने पंजीकरण को रोहिणी आवासीय योजना में बदला नहीं है तथा न ही न्यू पैटर्न आवासीय पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत पंजीकरण को रद्द ही करवाया है।

6. मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ को निकाली गई लाटरी में मेरी पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ के तहत क्षेत्र के \_\_\_\_\_ ब्लॉक, में आबंटित रिहायशी प्लेट सं. \_\_\_\_\_ के किसी खण्ड या पूरे क्षेत्र को बेचा, हस्तांतरित या उसके कब्जे के लिए कोई अनुबन्ध नहीं किया है। मैंने किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विक्री अनुबन्ध मुख्तारनामा आदि भी नहीं किया है।

7. कि मैंने \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ ने दि.वि.प्रा. आवास योजना-2006 के अन्तर्गत एम.आई.जी. / उच्च श्रेणी वर्ग के लिए आवेदन संख्या \_\_\_\_\_ द्वारा आवेदन किया था और मुझे पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा आवासीय योजना में प्लेट संख्या \_\_\_\_\_ आबंटित किया गया था और मैं प्लेट का कब्जा पाने का हकदार हूँ।

शपथकर्ता

मैं \_\_\_\_\_ निश्चयपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ऊपर पैरा 1 से 7 में लिखी बातें सत्य है तथा उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ शपथकर्ता \_\_\_\_\_

ANNEXURE-C

AFFIDAVIT

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh/Smt. \_\_\_\_\_ S/o/D/o/W/o/Shri \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ aforesaid solemnly affirm and state as under:

1. I am a citizen of India.

2. I or my husband or any of my dependent relations including minor children do not own in full or part on free hold or lease hold basis any residential plot or house in the Urban area of Delhi, New Delhi or Delhi Cantt.

3. I am applying for allotment of only one dwelling unit.

4. I have attained the age of majority at the time of applying for registration. My date of Birth is \_\_\_\_\_

5. I have not got any registration under the New Pattern Housing Regn. Scheme, 1979 transferred to Rohini Residential Scheme in the past and have not got the registration under New Pattern Housing Registration Scheme 1979 cancelled.

6. I have not sold, transferred, assigned or parted with the possession of the whole or any part of the residential flat No. \_\_\_\_\_ allotted to me against my Registration No. \_\_\_\_\_ in the draw held on \_\_\_\_\_ by the DDA. That I have not executed any Sale Agreement, Power of Attorney, Agreement of Sale or agreement in favour of anybody.

7. That I, \_\_\_\_\_ S/o D/o W/o \_\_\_\_\_

R/o \_\_\_\_\_

applied for registration of MIG/HIG under DDA Housing Scheme-2006 \_\_\_\_\_, vide application No. \_\_\_\_\_ and that I have been allotted a flat No. \_\_\_\_\_ vide allotment letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

That I am \_\_\_\_\_

entitled for possession of the flat.

VERIFICATION: **DEPONENT**  
I, \_\_\_\_\_, do hereby verify that the facts mentioned in Paras 1 to 7 above are correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

Place: \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ **DEPONENT**

अनुलग्नक – डी

पति की ओर से शपथपत्र

*टिप्पणी*:- यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्थापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

श्री \_\_\_\_\_ पुत्र \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ का शपथपत्र। मैं उपरोक्त की विधिवत प्रुष्टि करता हूँ और निम्नानुसार जानकारी देता हूँ:

1. कि श्रीमती \_\_\_\_\_ पुत्री \_\_\_\_\_ मेरी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं।

सत्यापन: \_\_\_\_\_ अभिसाक्षी  
मैं, \_\_\_\_\_ एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कोई बात छुपाई नहीं गई है।

स्थान \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ अभिसाक्षी  
\_\_\_\_\_

ANNEXURE-D

AFFIDAVIT FROM HUSBAND

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh. \_\_\_\_\_ S/o \_\_\_\_\_  
R/o \_\_\_\_\_

I aforesaid solemnly affirm and declare as under:

1. That Smt. \_\_\_\_\_, D/o \_\_\_\_\_, is my legally wedded wife.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, \_\_\_\_\_, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

DEPONENT

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

पत्नी की ओर से शपथपत्र

*टिप्पणी* : यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्थापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

श्रीमती \_\_\_\_\_ पत्नी \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ का शपथपत्र। मैं उपरोक्त की विधिवत प्रुष्टि करती हूँ और निम्नानुसार जानकारी देती हूँ :

1. कि श्री \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ मेरे कानूनी रूप से विवाहित पति हैं।

सत्यापन: \_\_\_\_\_ अभिसाक्षी \_\_\_\_\_  
मैं \_\_\_\_\_ एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कोई बात छुपाई नहीं गई है।

स्थान \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ अभिसाक्षी \_\_\_\_\_

ANNEXURE - E

AFFIDAVIT FROM WIFE

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Smt. \_\_\_\_\_ W/o \_\_\_\_\_, R/o \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ I aforesaid solemnly affirm and declare as under:  
1. That Shri \_\_\_\_\_, S/o \_\_\_\_\_, is my legally wedded husband.

DEPONENT

VERIFICATION:  
I, \_\_\_\_\_, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and no material has been concealed.

DEPONENT

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

अनुलग्नक — एफ

वचन—बंध

टिप्पणी : यह शपथ—पत्र 10/- रु. के नॉन—जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब—जज / नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाये तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टैम्प भी लगाये।

जबकि मुझे अर्थात् \_\_\_\_\_ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी \_\_\_\_\_

श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपटान) विनियम, 1968 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर \_\_\_\_\_ नामक स्थान के \_\_\_\_\_ ब्लाक में \_\_\_\_\_ मंजिल फ्लैट सं. \_\_\_\_\_ आबंटित किया गया है (जिसे आगे संक्षेप में फ्लैट कहा गया है)।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत मुझे फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले मेरे लिए फ्लैट के साथ लगे हुए सामान्य भागों और सेवाओं के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक एजेन्सी या गठन और फंजीकरण कराना, फ्लैट का हस्तांतरण विलेख और भूमि का संयुक्त पट्टा विलेख फ्लैट के अनुलम्बन—पत्र का किराया खरीद किरायेदारी करार निष्पादित कराना बाध्यकर होगा।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विनियमों में निर्धारित दस्तावेजों का निष्पादन और पंजीकरण कराने से पूर्व अपने हित में मैंने फ्लैट का कब्जा लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया है।

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ एतद्वारा वचन देता हूँ कि आबंटित फ्लैट का कब्जा पहले दिये जाने की स्थिति में उन सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपटान) विनियम 1968 में निर्धारित है, जिसमें इस विनियम में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त शामिल है या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट के किराया खरीद किराएदारी करार, हस्तांतरण विलेख और फ्लैटों के अनुलम्बन क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के संयुक्त पट्टा विलेख में निर्धारित की जाए और मैं उन पर हस्ताक्षर करूंगा और उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ निष्पादित करूंगा तथा उनका पंजीकरण फ्लैट सौंपने की तिथि से 90 दिन के अन्दर या उस बढ़ाई गई अवधि में उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से अपने जोखिम और खर्चों पर करवा दूंगा जिसकी अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा समय—समय पर दी जाए और 90 दिन की उक्त अवधि या उस बढ़ाई गई अवधि के दौरान, (जैसा भी स्वीकृत हो) आबंटित फ्लैट के साथ संलग्न सामान्य सेवाओं के रखरखाव की देखभाल कराने के लिए जिम्मेदार होऊंगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकृत एजेन्सी का गठन करूंगा और उसका सदस्य बनूंगा तथा उसके लिए बनाए गए आदर्श संविधान का पालन करूंगा जिसे मैंने पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है।

मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व और लिखित अनुमति लिए बिना आबंटित आवासीय इकाई में कोई परिवर्द्धन और परिवर्तन न करने का वचन देता हूँ। यदि मैं इसमें दिए गए वचन को पूरा करने में असमर्थ रहा तो दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय इकाई का आबंटन रद्द करने और कब्जा वापिस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सन् 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ मास के \_\_\_\_\_ दिन निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कि गये।

1. साक्षी

2. साक्षी

आबंटिती

ANNEXURE-F

UNDERTAKING

(NOTE: This Undertaking should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

WHEREAS, I, \_\_\_\_\_ S/o,W/o D/o \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ on an application made to the Delhi Development Authority under the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968 (hereinafter called the Flat),  
AND WHEREAS under the said Regulation, it is obligatory on my part to form a registered agency with the Vice-Chairman, DDA for the Management and Administration of the common portions and common services attached to the flats, execute the conveyance deed for the flat and joint lease deed for the land, under the appurtenant to the flats before the possession of the flat is handed over to me.  
AND WHEREAS I in my own interest have applied to Delhi Development Authority for the possession of the flat allotted for immediate occupation, before the completion of the various formalities required to be performed by me under the said regulations and execution and registration of the documents provided in the Regulations.  
I, \_\_\_\_\_, S/o, W/o, D/o \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_, hereby undertake that in the event of the possession of the flat allotted being given to me earlier, I shall abide by all the terms and conditions that are set forth in the DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, including the documents containing therein, or may be set forth in the, Conveyance Deed for the flat and the joint lease deed for the land under the appurtenant to the flats by the Delhi Development Authority and shall sign and execute the same with the Delhi Development Authority and get the same registered at my own cost and expenses in the manners prescribed under the said Regulations within 90 days from the date of handing over the possession of the flat or such extended period as may be permitted by the Vice Chairman of Delhi Development Authority from time to time and that during the said period of 90 days of such extended period as may be permitted, I shall be responsible for looking the maintenance of the common services attached to the flat allotted.  
I, further undertake that we shall constitute and become, a member of the Registered Agency prescribed under the said Regulations and abide by the constitution, a model form of which I have read and understood.  
I also undertake not to make any additions and alterations in the dwelling unit allotted to me without obtaining prior and written permission from the D.D.A. It will be open to DDA to cancel the allotment and resume the possession of the dwelling unit, if I fail to fulfill the undertaking given herein.  
Singed by me \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ Two Thousand \_\_\_\_\_

In the presence of Witnesses:-  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

ALLOTTEE

अनुलग्नक – जी

वचन-पत्र

*टिप्पणी* :- यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्थापित करवाये तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगाये ।

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ निम्नानुसार वचन देता हूँ \_\_\_\_\_

1. कि मैं भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से तय रूपान्तरण प्रभार के अंतर का भुगतान करूँगा और मौंग के अनुसार दि. वि. प्रा. को भुगतान करूँगा, यदि ये वर्तमान प्रसारित के अतिरिक्त हों ।

2. कि मैं बड़े हुए रुपान्तरण प्रभारों पर रुपान्तरण प्रभारों की दरों के अंतिम निर्णय के समय स्टाम्प ड्यूटी का भी भुगतान करूँगा और मैं पूरक कन्वीएंस डीड के निष्पादन / पंजीकरण कराने के लिए तैयार हूँ ।

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में मेरे द्वारा दिल्ली में \_\_\_\_\_ हस्ताक्षरित \_\_\_\_\_

आबंटी

गवाह :-  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

ANNEXURE-G

UNDERTAKING

(NOTE: This Undertaking should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

I, \_\_\_\_\_ S/o D/o W/o Sh. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ hereby undertake as under:

1. That I will pay the difference of conversion charges finally decided by Govt. of India and will pay to DDA as demanded, if they are in excess of the presently charged conversion charges.
2. That I will also pay the stamp duty at the time of final decision of the rates of the conversion charges on the increased conversion charges and ready to execute / get registered the supplementary conveyance deed.

Signed by me at the Delhi on this \_\_\_\_\_ in the presence of the following witnesses:-

Witnesses:-

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

ALLOTTEE



अनुलग्नक – आई

श्री \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ और श्रीमती \_\_\_\_\_  
पत्नी श्री \_\_\_\_\_

	श्री _____ के नमूना हस्ताक्षर और फोटो	श्री _____
1.		की फोटो
2.		
3.		

	श्री _____ के नमूना हस्ताक्षर और फोटो	श्री _____
1.		की फोटो
2.		
3.		

मुहर सहित सत्यापित

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ पद \_\_\_\_\_

**टिप्पणी :** फोटोग्राफ हस्ताक्षर और मुहर सहित आधे फोटोग्राफ और आधे कागज़ पर सत्यापित होना चाहिए। हस्ताक्षर और मुहर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक / किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

ANNEXURE - I

Specimen signature and photograph of Shri \_\_\_\_\_ S/o, D/o, W/o, Sh. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_  
and Smt. \_\_\_\_\_ W/o Shri. \_\_\_\_\_

	Specimen Signature of Sh.	Photo of Shri
1.		
2.		
3.		

	Specimen Signature of Sh.	Photo of Shri
1.		
2.		
3.		

Attested with seal

Signature \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_

**NOTE:** Photograph should be attested with stamp and signature half on the photograph and half on the paper. Signatures and Photograph should be attested by 1<sup>st</sup> Class Magistrate/Notary Public/Any other Competent Authority.

फार्म भरने के लिए अनुदेश

सामान्य अनुदेश

- क. केवल बड़े (कैपिटल) अक्षर लिखें।
- ख. प्रत्येक बॉक्स में केवल अक्षर/संख्या लिखें।
- ग. प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ें।
- घ. आपके ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के पीछे आपका नाम, आवेदन संख्या और टेलीफोन नंबर लिखें।
- ङ. दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फोटो लगाएँ तथा फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में और आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।
- च. संयुक्त आवेदन के मामले में दिए गए बॉक्स में संयुक्त आवेदकों की नवीनतम फोटो चिपकाएँ और फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स तथा आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।

विशेष अनुदेश

1. पैन (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं.) कार्ड/पत्र में दिए अनुसार आवेदक का नाम
2. पैन कार्ड/पत्र में दिए अनुसार प्रथम आवेदक के पिता का नाम लिखें।
3. प्रथम आवेदक को स्थायी खाता संख्या यहां दी जाए और पैन कार्ड पैन के सूचना पत्र की प्रति संलग्न की जाए।
4. प्रथम आवेदक के बैंक खाते के विवरण दिए जाएं। यदि एक आवेदक ने किसी अन्य खाते या फर्म के खाते या कम्पनी के खाते से धनराशि निकाली है तो आवेदन पत्र में दिए गए प्रथम आवेदक के बैंक के विवरण दिए जाएं। बैंक के ये विवरण नाम के साथ धन राशि वापस करने के चेक पर मुद्रित किए जाएंगे और इस धन राशि वापसी के चेक को उस खाते में जमा किया जा सकता है यदि आवेदक का नाम और बैंक के विवरण बैंक के अभिलेख से मेल खाते हैं। संयुक्त नामों पर आवेदन के मामले में धन राशि वापसी का चेक प्रथम आवेदक के नाम पर जारी किए जाएंगे, इसलिए प्रथम आवेदक के बैंक विवरण दिए जाएं।

- 5 व 6. कृपया एसटीडी कोड के साथ अपना फोन नंबर और यदि कोई मोबाइल नंबर हो, दे। आवेदक के हित में होगा कि वे अपने नंबर दें, क्योंकि किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर इन नंबरों पर आवेदक से सम्पर्क किया जा सकता है।
7. आवेदक की श्रेणी का कोड लिखें। यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी का है तो प्रमाण संलग्न करें। प्रत्येक श्रेणी का कोड निम्नानुसार है :

श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	अज
अनुसूचित जनजाति	अजज
युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवा	सै. वि.
शारीरिक विकलांग	शा. वि.
पूर्व सैनिक	पू. सै.
सामान्य श्रेणी	सा. श्रे.

8. यहाँ प्रथम आवेदक का आवासीय पता दिया जाए और प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए।
9. पत्राचार का पता लिखें, जहां आवेदक अपना धन राशि वापसी का चेक/मांगपत्र एवं आवंटन पत्र मांगना चाहता है।
10. यदि आवेदन संयुक्त नाम पर किया गया हो तो संयुक्त आवेदक का नाम लिखें।
11. आवेदक जिन स्थानों के लिए आवेदन करना चाहता है, कृपया वे सभी वरीयताएँ भरें, जिन वरीयताओं को भरा नहीं गया हो, उन पर X का निशान लगाएँ।
12. पंजीकरण राशि 1,50,000/- रु. के विवरण लिखें। माँग पत्र/बैंकर्स चेक दिल्ली/वई दिल्ली में देय ड्राईए हाउसिंग के पक्ष में होना चाहिए। यदि आवेदक ने डाउनलोड किया गया फॉर्म उपयोग किया है तो पूरी तरह से भरें हुए आवेदन पत्र के साथ 150/- रु. का अलग से भुगतान आदेश/बैंकर्स चेक दिया जाए।

INSTRUCTIONS TO FILL FORM

GENERAL INSTRUCTIONS

- a) Only Capital letters should be used.
- b) Use one box for one letter/number.
- c) Leave one box blank after one word.
- d) Write your name, application number and telephone number at the back of your draft/pay order/banker's cheque.
- e) Paste latest photograph in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form
- f) In case of joint application, paste the latest photograph of the joint applicant in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form.

SPECIFIC INSTRUCTIONS

1. Write name of the applicant as given in PAN. (Permanent Account Number issued by the Income Tax Department) Card/ Letter.
2. Write father's Name of first applicant as given in PAN Card/ Letter.
3. Permanent account number of first applicant need to be given here and copy of PAN card/intimation letter of PAN to be enclosed.
4. Give detail of bank account of first applicant. If an applicant has withdrawn money from any other account or firm's account or company's account, the bank detail of the first applicant whose name is given in the application form need to be given. These bank details would be printed on the refund cheque along with the name and refund cheque can be deposited in that account if name of the applicant and bank particulars match with the records with bank. In case of application in joint name refund cheque would be issued in the name of first applicant hence bank detail of the first applicant need to be given.

- 5&6. Please give phone number with STD code and mobile number if any. It would be in the interest of the applicant to give these details as it helps the bank to contact the applicant in case of any need.

Category	Code
Scheduled Caste	S C
Scheduled Tribe	S T
War Widows	W W
Physically Handicapped	P H
Ex-Servicemen	E X
General Category	G E

7. Write code for the category to which the applicant belong. In case applicant is from reserve category, enclose proof. The code for each category is given above :
8. Give residential address of the first applicant need to be given here and copy of proof to be enclosed.
9. Write correspondence address where the applicant wants to reach his refund cheque/demand letter-cum allotment letter.
10. In case application is preferred in joint name, write the name of the joint applicant.
11. Please write the code (given in Annexure 'A') for the locality to which applicant want to fill all preferences, put cross mark in preferences not filled.
12. Write details of the registration money of Rs. 1,50,000/- Demand draft/banker's cheque should be in favour of DDA HOUSING - payable at Delhi/New Delhi. In case applicant has used downloaded application form, separate pay order/ banker's cheque of Rs. 150/- to be given to the bank along with the completely filled application form.